पत्र संख्याः शिक्षा /कांगडा/जी–4 परीक्षा 2024
कार्यालय उप शिक्षा– निदेशक उच्च
कांगडा स्थित धर्मशाला।

Dy. Director of Higher Education
19 MAR 2025
Dispatch No. 3347-48
Kangra at Dharamshala

दिनांक धर्मशाला 19–03–2025

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य व मुख्याध्यापक
रा0व0मा0पा0 / रा0उ0पा0
जिला कांगडा हि0प्र0।

विषयः मार्च 2025 में संचालित की जाने वाली मैटिक/ जमा दो की नियमित/HPSOS बोर्ड परीक्षा से सम्बन्धित उतरपुस्तिकाओं के स्थल मूल्यांकन कार्य के सूचारू संचालन व निष्पादन हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करने बारे दिशानिर्देश।

ज्ञापनः

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि प्रदेश सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार मार्च 2025 में मैट्रिक, जमा दो व एस0ओ0एस0 आठवीं, दसवीं व बाहरवीं कक्षा की परीक्षाएं संचालित की जा रही है। इन परीक्षाओं से सम्बन्धित उत्तरपुस्तिकाओं का मूलयांकन करवाने के लिए जिले के विभिन्न विद्यालयों में बोर्ड द्वारा स्थल मूल्यांकन केन्द्र स्थापित किए गए है। स्थल मूल्यांकन का कार्य अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह से आरम्भ हो जाएगा।

अतः आप को निर्देश दिए जाते है कि उत्तरपुस्तिकाओं के मुल्यांकन कार्य के सूचारू संचालन व निष्पादन हेतू निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चिम करें।

1. बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार दसवीं तथा दस जमा दो के विभिन्न विषयों के लिए अपने स्कूल के सभी अध्यापकों को परीक्षक (Examiner) के लिए online Acceptance form 25.03.2025 तक भरना सुनिश्चित करें।
2. उक्त नियुक्तियों के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि बोर्ड नियमानुसार सरकारी स्कूलों के नियमित, पैरा अध्यापक तथा अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त अध्यापक/प्राध्यापक/प्रवक्ता जिसे सम्बन्धित विषय को पढाने का अनुभव कम से कम तीन वर्ष हो जबकि पीटीए एवं एस0एम0सी0 शिक्षक तथा बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में without any break कार्यरत अध्यापक/प्राध्यापक जिसे सम्बन्धित विषय को पढाने का अनुभत कम से कम चार वर्ष लगातार है, को परीक्षक एवं सहायक निरीक्षक नियुक्त किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा निर्धारित समय सीमा में उत्तरपुस्तिकाओं के मुल्यांकन कार्य को सम्पन्न करवाया जाना है।
3. बोर्ड सेवाओं को सरकारी स्कूलों में कार्यरत सभी अध्यापकों के लिए माध्यमिक शिक्षा कोड–2012 में निहित संख्या 2.20 में अनिवार्य कर दिया गया है।
4. यदि किसी मूल्यांकन केन्द्र में परीक्षकों की आवश्यकता हुई तो मूल्यांकन केन्द्र प्रभारी/समन्वयक परीक्षकों की नियुक्ति हेतु हमारे कार्यालय में सम्पर्क करें।
5. इसके अतिरिक्त आप सभी को निर्देश दिए जातें हैं कि अपने स्कूलों के बोर्ड द्वारा नियुक्त अध्यापकों को परीक्षक की डयुटी हेतू तुरन्त प्रभाव से स्कूल कार्य से भार मुक्त करें तथा परीक्षक स्थल मुल्यांकन केन्द्र में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

उप शिक्षा निदेशक (उच्च)
कांगडा स्थित धर्मशाला।

प्रतिलिपि प्रेषितः
सचिव हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को सूचनार्थ ।

उप शिक्षा निदेशक (उच्च)
कांगडा स्थित धर्मशाला।

19/03/2025 12:34

Secrecy: S 2
अति आवश्यक

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला-176215

क्रमांक : हिशिबो(17)/गोपनीय/मार्च 2025 – 010 दिनांक:– 05.03.2025

प्रेषक:–

सचिव,
हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड,
धर्मशाला–176215।

प्रेषित:–

समस्त उप निदेशक,
उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश।

Dy. Director of Higher Education
17 MAR 2025
Diary No. 2176
Kangra at Dharamshala

विषय:– मार्च 2025 में संचालित की जाने वाली मैट्रिक/जमा दो की नियमित/HPSOS बोर्ड परीक्षा से सम्बन्धित उत्तरपुस्तिकाओं के स्थल मूल्यांकन कार्य के सुचारू संचालन व निष्पादन हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करने बारे दिशानिर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ मे आपको सूचित किया जाता है कि प्रदेश सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार मार्च 2025 में मैट्रिक, जमा दो व एस0ओ0एस0 आठवीं, दसवीं व बाहरवीं कक्षा की परीक्षाएं संचालित की जा रहीं हैं। इन परीक्षाओं से सम्बन्धित उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाने के लिए आपके जिले के विभिन्न विद्यालयों में **बोर्ड द्वारा स्थल मूल्यांकन केन्द्र** स्थापित किए गए है (अधिसूचना संलग्न)। आप को भी अध्यापकों को बतौर परीक्षक नियुक्त करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। स्थल मूल्यांकन का कार्य अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह से आरम्भ हो जाएगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य के सुचारू संचालन व निष्पादन हेतु आप अपने जिले में स्थापित **बोर्ड का स्थल मूल्यांकन केन्द्र** में निम्नलिखित के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करें:–

1. आप अपने जिले के सभी विद्यालय प्रमुख को निर्देश जारी करें कि वह बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार दसवीं तथा दस जमा दो के विभिन्न विषयों के लिये अपने स्कूलों के सभी अध्यापकों को परीक्षक (Examiner) के लिये Online Acceptance Form 25.03.2025 तक भरना सुनिश्चित करें।
2. उक्त नियुक्तियों के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि बोर्ड नियमानुसार सरकारी स्कूलों के नियमित, पैरा अध्यापक तथा अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त अध्यापक/प्राध्यापक/प्रवक्ता जिसे सम्बन्धित विषय को पढ़ाने का अनुभव कम से कम **तीन वर्ष** हो जबकि पीटीए एवं SMC शिक्षक तथा बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में Without any Break कार्यरत अध्यापक/प्राध्यापक जिसे सम्बन्धित विषय को पढ़ाने का अनुभव कम से कम **चार वर्ष** (लगातार) है, को परीक्षक एवं सहायक निरीक्षक नियुक्त किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा निर्धारित समय सीमा में उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को सम्पन्न करवाया जाना है।
3. निदेशक उच्च शिक्षा के पत्र संख्या EDN-HE(21)S(3)37/2023-2023-Education Code दिनांक 04.12.2023 के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा कोड–2012 में निहित संख्या **2.20** में संशोधन करते हुए बोर्ड सेवाओं को सरकारी स्कूलों में कार्यरत सभी अध्यापकों के लिये अनिवार्य **(Mandatory)** कर दिया गया है।
4. यदि किसी **मूल्यांकन केन्द्र** में परीक्षकों की आवश्कता हुई तो **मूल्यांकन केन्द्र** प्रभारी/समन्वयक परीक्षकों नियुक्ति हेतु आप से संपर्क करेंगे।
5. इसके अतिरिक्त जिले के सभी विद्यालय प्रमुख को यह भी निर्देश जारी करें कि वह अपने स्कूलों के बोर्ड द्वारा नियुक्त अध्यापकों को परीक्षक की duty हेतु तुरन्त प्रभाव से स्कूल कार्य से भार मुक्त करें तथा परीक्षक स्थल मुल्यांकन केन्द्र में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

अतः उक्त प्रायोजनार्थ यदि कोई समस्या हो तो आप लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब e-mail: hpbosesecretary@gmall.com या hpbosesosrcy.17@gmail.com से प्रेषित करने की कृपा करें।

आपके सहयोग के लिये धन्यवाद।

सचिव

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ :–

1. निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हि0 प्र0 सरकार।
2. निजि सहायक अध्यक्ष/सचिव हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड।

सचिव

19/03/2025

CS CamScanner